रोख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 52/2024 अनवान दुर्गसिंह बनाम ओमप्रकाश वगैराह**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
19/05/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 07 उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर भूमि खसरा संख्या 942/851 रकबा 0.1619 हेक्टयर, भुमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित ुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 07 द्वारा जवाब पे ा नहीं। अतः जवाब पे ा करने के अवसर बंद किए जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 02 से 07 द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को छोड़कर प्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नहीं है। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर भूमि खसरा संख्या 942/851 रकबा 0.1619 हेक्टयर, भुमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (व [illegible]काल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी न करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश वि[illegible] 24.08.1992 [illegible]) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मे[illegible] निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:18:53 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी